

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्या:- 47 / 2023

तारीख रजू 28.07.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
.....आवेदक

**बनाम**

श्री राम शर्मा पुत्र स्व० श्री धनराज शर्मा (विक्रेता) मैसर्स श्री रामा मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार,  
सूरवाल, सवाई माधोपुर  
..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

**निर्णय:-**

**दिनांक 10.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 14.02.2023 को दोपहर 12.30 पी.एम. पर उक्त मैन बाजार ग्राम सूरवाल, फर्म- श्री रामा मिष्ठान भण्डार पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 5 किलोग्राम मावा मिठाई काउन्टर पर स्टील की ट्रे में रखी थी। उक्त मावा मिठाई में गुणवत्ता की कमी होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 02 किलोग्राम मावा मिठाई खरीदकर उसकी कीमत 360/- रुपये विक्रेता श्री राम शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री राजू एवं श्री वेद प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम मावा मिठाई को एक स्टील के खाली बर्तन में लेकर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भर कर फॉर्मलिन की 20-20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको ऐयरटाइट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2613 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2613 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर

न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राम शर्मा विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर् में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/671 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/365/एक्ट/2023/450 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा मिठाई सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के मावा मिठाई का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के मावा मिठाई का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से मावा मिठाई का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी को नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त अपराध अनजाने में कारित हुआ है। अन्त में अभियुक्त ने प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/365/एक्ट/2023/450 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा मिठाई सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार कर प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 10,000/-रु० (अक्षरे दस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(जगदीश आर्य)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर